भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
परमाणु ऊर्जा विभाग/DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय

DIRECTORATE OF CONSTRUCTION, SERVICES AND ESTATE MANAGEMENT
प्रवर्तन अनुभाग / ENFORCEMENT SECTION

विक्रम साराभाई भवन,
Vikram Sarabhai Bhavan,
दूसरा तल, उत्तरी स्कंध,
2nd Floor, North Wing,
अणुशक्तिनगर/Anushaktinagar,
मुंबई/Mumbai-400 094
दूरभाष/Telephone : 25487217 / 25487267

No. DCSEM/Enft/35(5)/Parking /16/593 31 May, 2017.

CIRCULAR

The Directorate of Construction, Services and Estate Management (DCSEM) would like to inform all the employees of various units stationed in VS Bhavan that the parking facility adjacent to V.S. Bhavan is ready for use w.e.f **01/06/2017.** There are total 181 parking slots of which 50 are reserved for government vehicles of various units in VS Bhavan leaving behind 131 parking slots. Of these 73 covered parking slots are in the ground floor and 78 parking slots open to sky are in the first floor. It may be noted that there are limited car parking space available and this will not be sufficient to cater to requirements of the employees stationed in VS Bhavan.

Some guidelines pertaining to traffic and parking are necessary for safe driving condition and orderly parking of vehicles. This Directorate fully recognizes the difficulties involved in this task and has sought every means possible to develop traffic and parking guidelines that are reasonable for the employees to follow:

1. Parking is assigned only for four wheelers and for use of those serving government employees owned vehicles of NPCIL, DCSEM, HWB and DPS stationed in V.S. Bhavan;
2. Only valid registered ownership vehicles will be permitted to be parked in the parking area;
3. Parking for persons with special needs have been earmarked separately. Vehicles should be parked only in the slots marked for the purpose;
4. Haphazard parking in areas for general movement (unslotted) will not be allowed:
5. NPCIL hired Vehicles must be parked within the area marked for NPCIL. No vehicle shall be parked outside the marked area;
6. Parking will be made on first cum first basis. There is no reservation or blocking of parking area;
7. Parking for Department's hired vehicle will be made on first cum first basis;
8. Parking should enable smooth vehicular movement. Vehicle(s) causing disruption of flow of traffic is liable to be removed by Security/authorized person;
9. When a parking space is not available try another. Inability to locate a parking space will not be an excuse for parking violation;
10. Obey posted speed limit in the parking area. If speed limit is not posted, it is assumed at 20kmph;
11. Do not resort to overtaking whatsoever in the parking facility;
12. All signs and markings in the Parking area are in the interest of parking control and must be obeyed. Removal or damage of markings should be avoided;
13. No vehicles should be parked at slots marked as 'No Parking'
14. Entry and Exit into the parking space must be slow, Pedestrian safety is of prime importance and have to be given priority over vehicular traffic in all circumstances;
15. Do not block vehicles attempting to exit parking space;
16. Moving vehicles are to remain right of the centerline except when accessing parking space;

17. If another stationed vehicle is accidentally bumped, please inform security immediately to enable contact owner of the vehicle bumped;
18. Any incident involving motor accident, break in or theft in the parking space may be brought to the notice of security immediately;
19. Avoid opening doors into adjacent vehicles;
20. This Directorate reserves the right to close any parking area for reasons of repair, safety and other instances as needed. Vehicles parked within such areas closed by the Directorate is likely to be towed;
21. All vehicles may be subjected to the security check;
22. Leaving back the vehicle in the parking area for personal reasons is prohibited after office hours and during leave period of the employee.
23. Headlights are to be burned in parking decks to increase safety;
24. Any fluid leaks from vehicle is to be reported to Security to ensure timely cleanup prior to run off activity that may damage other vehicles or create environment concerns;
25. Any suspicious activity within the parking area should be reported to the Security immediately;
26. Parked cars in the Parking facility should be invariably locked, owners are requested not to part with the keys of their vehicles to unidentified person;
27. Two wheelers/bicycles are not permitted in the parking area, entry to them to the Parking area will be disallowed;
28. This Directorate has no liability or responsibility for loss or damage caused to any vehicles or its contents in the parking facility;
29. Breakdown of vehicle should be informed to Security and arrangements to be made by owner on priority:
30. Contact No. of Owner/Driver may be put on the vehicle;
31. Parking is a privilege that may be withdrawn for non-compliance of the guidelines.
32. These directions come into force with immediate effect.

All employees working in NPCIL, DCSEM, HWB and DPS stationed at VS Bhavan are requested to co-operate for smooth running of parking facility.

GS Karwade 30/5/17

(G.S. Karwade)
Chief Administrative Officer

All Notice Boards in V.S. Bhavan

1. CAO, DPS
2. CAO, HWB
3. DGM (HR), NPCIL, VS Bhavan
4. Head GSS, DCSEM

Copy to :

1. Director, DCSEM
2. CE(C2), DCSEM
3. CE(C3), DCSEM
4. CE(Maint.), DCSEM
5. CE(M) & (E)
6. Shri Milind Gowardhan, SO/H, DCSEM
7. CSO, DCSEM

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
परमाणु ऊर्जा विभाग/DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय
DIRECTORATE OF CONSTRUCTION, SERVICES AND ESTATE MANAGEMENT
प्रवर्तन अनुभाग / ENFORCEMENT SECTION
विक्रम साराभाई भवन,/Vikram Sarabhai Bhavan,
दूसरा तल, उत्तरी स्कंध/2nd Floor, North Wing,
अणुशक्तिनगर/Anushaktinagar,
मुंबई/Mumbai-400 094
दूरभाष/Telephone : 25487217 / 25487267

No.निसेसंप्रनि DCSEM/प्रवर्तन Enft/35(5)/पार्किंग Parking /16 1593 31 मई, 2017.

परिपत्र

निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय (निसेसंप्रनि), वि.एस. भवन स्थित विभिन्न इकाईयों के कर्मचारियों को सूचित करना चाहता है कि वि.एस.भवन के पास पार्किंग सुविधा दिनांक 01/06/2017 से उपयोग हेतु तैयार है । इसमें कुल 181 पार्किंग स्लाट है जिनमें से 50 वि.एस भवन स्थित विभिन्न यूनिटों के सरकारी वाहनों हेतु आरक्षित हैं व 131 पार्किंग स्लाट शेष होंगे । इनमें से 73 छतदार/ढँका हुआ पार्किंग स्लाट निचले / भू तल पर है एवं 78 छतरहित पार्किंग स्लाट पहले तल पर है । यह नोट किया जाए कि कॉर पार्किंग की जगह सीमित है और वि.एस.भवन में कार्यरत कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त नहीं है ।

सुरक्षित ड्राइविंग एवं वाहनों के व्यवस्थित पार्किंग हेतु यातायात एवं पार्किंग से संबंधित कुछ दिशा-निर्देश आवश्यक हैं । यह निदेशालय इस कार्य से जुडी कठिनाइयों को भली भाँति जानता है तथा कर्मचारियों द्वारा यथोचित पालन किये जाने वाले यातायात एवं पार्किंग दिशा-निर्देश विकसित करने में हर संभव प्रयास किया है :

1. पार्किंग केवल चार पहियों वाले वाहनों के लिए प्रदान किया गया है । वि.एस.भवन में कार्यरत एनपीसीआईएल, निसेसंप्रनि, भापाबो एवं क्रभनि के सेवारत कर्मचारियों के स्वयं के वाहनों के लिए पार्किंग उपलब्ध कराया जायेगा ।
2. पार्किंग क्षेत्र में केवल वैध पंजीकृत स्वामित्व वाले वाहनों को ही पार्किंग की अनुमति मिलेगी ।
3. विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए अलग से पार्किंग स्थल निश्चित किया गया है । वाहनों को इस कार्य हेतु चिन्हित किए गए स्थल पर ही पार्क करना होगा ।
4. सामान्य आवागमन के लिए निर्धारित क्षेत्र में अव्यवस्थित पार्किंग की अनुमति नहीं होगी ।
5. एनपीसीआई द्वारा भाडे पर लिये गये वाहनों को एनपीसीआईएल हेतु निर्धारित स्थल पर ही पार्क करना होगा । चिन्हित स्थल के बाहर कोई भी वाहन पार्क नहीं किया जाएगा ।
6. ``पहले आओ, पहले पाओ`` के आधार पर पार्किंग प्रदान होगा । पार्किंग स्थल के लिए कोई आरक्षण या अवरोधन नहीं होगा ।
7. विभाग द्वारा किराये पर लिये गये वाहनों के लिए पार्किंग ``पहले आओ, पहले पाओ`` के आधार पर प्रदान किया जायेगा ।
8. पार्किंग ऐसा हो जिससे वाहनों की सहज आवा-जाही सुनिश्चित होगी । यातायात के प्रवाह में व्यवधान उत्पन्न करने वाले वाहनों को सुरक्षाकर्मियों/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा हटाया जायेगा ।
9. पार्किंग स्थल उपलब्ध न होने पर दूसरा स्थल ढूँढें । पार्किंग स्थल प्राप्त न करने की असमर्थता, पार्किंग दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का कारण न बनायें ।
10. पार्किंग स्थल में दर्शायी गयी गति सीमा का पालन करें । अगर गति सीमा प्रदर्शित न हो तो, यह माना जाना चाहिए कि गति सीमा 20kmph है ।
11. पार्किंग सुविधा में चाहे जो स्थिति हो, ओवरटेक न करें ।
12. पार्किंग क्षेत्र में सभी चिह्न एवं संकेत पार्किंग नियंत्रण के उद्देश्य से प्रदर्शित किये गये हैं और उनका पालन किया जाना अनिवार्य है। इन चिह्नों एवं संकेतों को नहीं हटाएँ और न ही उन्हें क्षति पहुँचाएँ ।
13. ``नो पार्किंग`` स्लॉट में कोई भी वाहन पार्क न करें ।

14. पार्किंग क्षेत्र में प्रवेश एवं निकासी की गति धीमी होनी चाहिए । सर्वप्रथम पादचारी की सुरक्षा महत्वपूर्ण है एवं सभी परिस्थितियों में इसे वाहन परिवहन से भी अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।
15. पार्किंग स्थत से बाहर जाने का प्रयत्न करनेवाले वाहनों को रोके नहीं ।
16. पार्किंग स्थल में प्रवेश के अलावा, चलित वाहन हमेशा मध्यरेखा की दाहिने ओर होने चाहिए ।
17. यदि किसी खडे वाहन से गलती से टकरा जाएँ तो, कृपया सुरक्षाकर्मियों को तुरंत सूचित करें ताकि टक्कर लगे वाहन के मालिक से संपर्क किया जा सके ।
18. पार्किंग क्षेत्र में मोटर दुर्घटना, ताला तोडना या चोरी संबंधी कोई घटना घटने पर तुरंत सुरक्षाकर्मियों के ध्यान में लायें ।
19. वाहन का दरवाजा खोलते समय पास खडे वाहन को टकराने से बचें ।
20. निदेशालय के पास किसी भी पार्किंग क्षेत्र को आवश्यकतानुसार मरम्मत, सुरक्षा एवं अन्य कारणों से बंद करने का अधिकार सुरक्षित है । निदेशालय द्वारा इस प्रकार बंद किये गये क्षेत्रों में पार्क किये गये वाहनों को उठा लिया जायेगा ।
21. सभी वाहनों की सुरक्षा जाँच होनी चाहिए ।
22. कर्मचारियों के कार्यालयीन समय के बाहर एवं उनकी छुट्टी के दौरान वैयक्तिक कारणों से पार्किंग क्षेत्र में वाहन को खडा करना मना है ।
23. संरक्षा हेतु पार्किंग डेक में हेडलाइट लगाकर चलना चाहिए ।
24. वाहन से तेल का रिसाव होने पर तुरंत सुरक्षाकर्मियों को सूचित करें ताकि समय से उसको साफ किया जा सके और अन्य वाहनों को अथवा पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने से बचाया जा सके ।
25. पार्किंग क्षेत्र में कोई संदिग्ध गतिविधि होने पर उसकी रिपोर्ट तुरंत सुरक्षा अनुभाग को दें ।
26. पार्किंग क्षेत्र में पार्क की गई कारों को अनिवार्यतः ताला लगाया जाना चाहिए । मालिकों से अनुरोध है कि वे अपने वाहनों की चाबियाँ किसी अनजान व्यक्ति को न सौंपे ।
27. पार्किंग क्षेत्र में द्विपहिये वाहन/साइकिल की अनुमति नहीं है, अतः पार्किंग क्षेत्र में उनके प्रवेश की अनुमति नहीं है ।
28. पार्किंग सुविधा में किसी भी वाहन या उसमें उपलब्ध सामग्री की हानि या क्षति हेतु निदेशालय जिम्मेदार नहीं होगा ।
29. वाहन खराब होने पर तुरंत सुरक्षाकर्मियों को सूचित करें एवं उसका मालिक उसे तुरंत वहाँ से निकालने की व्यवस्था करें ।
30. मालिक/ड्राइवर का टेलिफोन नंबर वाहन पर चिपकाया जाए ।
31. पार्किंग एक विशेषाधिकार है जो दिशा-निर्देशों के अनुपालन न करने पर नकारा जा सकता है ।
32. ये दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

वि.एस.भवन में कार्यरत एनपीसीआईएल, निसेसंप्रनि, भापाबो एवं क्रभनि के सेवारत सभी कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे पार्किंग सुविधा के सुचारू रूप से चलने हेतु सहयोग प्रदान करें ।

30/5/17

(जी.एस.करवाड़े)
मुख्य प्रशासन अधिकारी

वि.एस.भवन के सभी सूचना पट्ट ।

1. मुख्य प्रशासन अधिकारी, क्रभनि.
2. मुख्य प्रशासन अधिकारी, भापाबो.
3. उप महाप्रबंधक (मा.सं.), एनपीसीआईएल, वि.एस.भवन.
4. प्रधान, सासेअ, निसेसंप्रनि.

प्रतिलिपि :

1. निदेशक, निसेसंप्रनि.
2. मुख्य अभियंता (सी 2), निसेसंप्रनि.
3. मुख्य अभियंता (सी 3), निसेसंप्रनि.
4. मुख्य अभियंता (अनुरक्षण), निसेसंप्रनि.
5. मुख्य अभियंता (यांत्रिक एवं विद्युत), निसेसंप्रनि.
6. श्री मिलिंद गोवर्धन, वैज्ञानिक अधिकारी/एच, निसेसंप्रनि.
7. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, निसेसंप्रनि.